न्यायालय-ए०के०गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक0क्र0 568/12

<u>संस्थित दिनाँक-25.07.2012</u>

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र–मौ जिला–भिण्ड (म०प्र०)

.....अभियोगी

विरुद्ध

- 1. मानसिंह पुत्र श्रीपाल कुशवाह उम्र 51 साल
- 2. पवनसिंह पुत्र मानसिंह कुशवाह उम्र 28 साल
- कलाबाई पत्नी मानिसंह कुशवाह उम्र 47 साल निवासी दानेबाबा कापुरा थाना मौ जिला भिण्ड म0प्र0अभियुक्तगण _—:: निर्णय ::—_

[आज दिनांक 07.11.2017 को घोषित]

अभियुक्तगण पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 324/34 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 25.06.12 को 13 बजे फरियादी सीताराम के मकान के सामने दानेबाबा का पुरा में सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी सीताराम की धारदार हथियार से मारपीट कर स्वेच्छा उपहति कारित की।

- 2. प्रकरण में यह तथ्य स्वीकृत व उल्लेखनीय है कि राजीनामा हो जाने के कारण प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध संहिता की धारा 294, 323/34, 506बी के संबंध में आरोप का उपशमन किया गया है। अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 324/34 के संबंध में निष्कर्ष दिया जा रहा है।
- 3. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 25.06.12 को दोपहर करीब एक बजे फरियादी सीताराम अपनी जगह मिट्टी डालकर उंचा कर रहा था उसी समय अभियुक्त मानसिंह आया और बोला कि यहां मिट्टी नहीं डलेगी। फरियादी ने कहा कि उसकी जगह है तो गाली गलोंच करने लगा और कुल्हाडी लेकर आया और फरियादी के सिर में मारी। अभियुक्तगण ने मुलायम एवं अनुरूद्ध को लाठी से मारा। कलावती ने बहू गोमता को मारा। अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी देकर चले गए। उक्त आशय की रिपोर्ट से अप०क० 143/12 पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान नक्शामौका बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए, अभियुक्तगण को गिर० कर गिर० पत्रक बनाए गए, बाद अनुसंधान अभियोगपत्र पेश किया गया।
- 4. अभियुक्तगण को पद क0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। अभियुक्तगण ने दप्रस की धारा 313 के अधीन परीक्षण कराए जाने पर निर्दोष होना तथा झूंठा फंसाया जाना बताया।

प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं –

1.क्या दि0 25.06.12 को 13 बजे फरियादी सीताराम को धारदार हथियार की कोई चोट मौजूद थी, यदि हॉ तो उसकी प्रकृति ?

2.क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय व फरियादी सीताराम के मकान के सामने दानेबाबा का पुरा में सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी सीताराम की धारदार हथियार से मारपीट कर स्वेच्छा उपहित कारित की।?

<u>–ः सकारण निष्कर्ष ::–</u>

- 6. अभियोजन की ओर से प्रकरण में सीताराम अ०सा० 1, अनुरूद्ध अ०सा० 2, मुलायम अ०सा० 3 व गोमता अ०सा० 4 को परीक्षित कराया गया है। तथ्यों एवं साक्ष्य में उत्पन्न परिस्थितियों में पुनरावृत्ति के निवारण हेतु दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
- 7. फरियादी सीताराम अ०सा० 1 यह कथन करते हैं कि घटना करीब साडे चार साल पहले की गर्मियों के दिन के 12 बजे की है। वे अपने घर के दरवाजे पर मिट्टी डाल रहे थे। अभियुक्त मानसिंह आया और गाली देने लगा व कहने लगा कि हमारे घर के आगे मिट्टी क्यों डाल रहे हो। इसके बाद मानसिंह भीतर जाकर कुल्हाडी ले आया और उसके सिर में मार दी। मुलायमसिंह बचाने आया तो उसे अभियुक्त पवन ने लाठी मारी। कलावती ने बहू गोमा को पत्थर व मुक्के से मारा। अभियुक्तगण गाली देते रहे और कह रहे थे कि अभी तो तीन को मारा है आगे नहीं छोडेंगे। उक्त घटना की थाना में रिपोर्ट प्र०पी० 1 लिखाए जाने का कथन करते हैं। फरियादी के कथन में संहिता की धारा 324 के संबंध में अभिसाक्ष्य का समर्थन प्र०पी० 1 की एफआईआर से होता है। साक्षी अनुरूद्ध अ०सा० 2, मुलायम अ०सा० 3 व गोमता अ०सा० 4 सभी ने घर के बाहर मानसिंह से मुंहवाद और धक्का मुक्की हो जाने का कथन किया है। अभियुक्तगण ने धारा 313 दप्रस के कथन में मुंहवाद के तथ्य को स्वीकार किया है।
- 8. प्रकरण में अनुरूद्ध अ0सा0 2, मुलायम अ0सा0 3, गोमता अ0सा0 4 द्वारा यह तथ्य अपने अभिसाक्ष्य में बताया है कि फरियादी सीताराम को सिर में चोट आई थी किन्तु किस चीज से आई इसके संबंध में कथन करने में अस्मर्थ है। फरियादी को चोट का तथ्य अभियोजन साक्ष्य में अखिण्डत रहा है। अभियुक्तगण की ओर से सीताराम अ0सा0 1 को प्रतिपरीक्षण में यह सुझाव दिया गया है कि उसे मकान का काम करते समय पत्थर के गिरने से उक्त चोट आई थी जिससे साक्षी द्वारा इंकार किया गया है। अनुरूद्ध अ0सा0 2, मुलायम अ0सा0 3 व गोमता अ0सा0 4 के कथन राजीनामा प्रस्तुति के उपरांत लेखबद्ध किए गए है। यद्यपि उन्होंने राजीनामा हो जाने से असत्य कथन किए जाने के सुझाव से इंकार किया है किन्तु उनके अभिसाक्ष्य में फरियादी की चोट अखिण्डत रही है।

फरियादी सीताराम अ०सा० 1 ने उसे सिर में कुल्हाड़ी से अभियुक्त मानसिंह द्वारा चोट पहुंचाए जाने का कथन किया है ऐसे में उक्त तथ्य भलीभांति प्रमाणित हो जाता है कि फरियादी सीताराम को सिर में चोट मौजूद थी जिसे अभियुक्त मानसिंह द्वारा कारित किया गया।

- 9. प्रकरण में फरियादी सीताराम के अभिसाक्ष्य में ऐसी कोई सारवान विरोधाभासी अभिसाक्ष्य प्रकट नहीं हुई जिसके आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध मामला संदेहप्रद होता हो। जहां तक सह अभियुक्तगण पवन एवं कलाबाई के संबंध में आहतगण द्वारा राजीनामा कर लिया गया है किन्तु उनका कृत्य सामान्य आशय के अग्रशरण में कारित होने से वे अभियुक्त मानसिह के साथ संहिता की धारा 324 सहपदित धारा 34 के अधीन दोषी होना पाए जाते हैं। अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध संहिता की धारा 324/34 के आरोप अभियोजन प्रमाणित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को उक्त आरोप के अधीन दोषसिद्ध किया जाता है।
- 10. 🚺 अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारहीन किए गए। उन्हें अभिरक्षा में लिया गया।
- 11. अभियुक्तगण के स्वेच्छिक अपराध को देखते हुए एवं उसकी परिपक्व आयु को देखते हुए उसे परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिये जाने का कोई आधार नहीं पाया जाता है। दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्तगण व उनके विद्ववान अभिभाषक को सुने जाने हेतु निर्णय लेखन कुछ समय के लिए स्थिगत किया जाता है।

(A.K.Gupta)
Judicial Magistrate First Class
Gohad distt.Bhind (M.P.)

पुनश्च:

- 12. अभियुक्तगण एवं उनके विद्ववान अभिभाषक को सुना गया। उन्होंने अभियुक्तगण की प्रथम दोषसिद्धि का कथन करते हुए अभियुक्तगण एक ही परिवार के सदस्य हैं, उनका राजीनामा हो गया है। अतः कम से कम दण्ड से दण्डित किए जाने का निवेदन किया है। अभियोजन को भी सुना गया।
- 13. अभियुक्तगण की पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं हैं। अभियुक्तगण से फरियादी पक्ष का राजीनामा हो गया है। उभयपक्ष एक ही परिवार के हैं। फरियादी व अभियुक्त मानसिंह सगे भाई हैं। फरियादी को पाई गयी चोट सतही प्रकृति की होकर अत्यंत गंभीर श्रेणी में नहीं आती है। ऐसी दशा में अभियुक्तगण को अधिकतम दण्ड से दंडित न करते हुए उन्हें शिक्षाप्रद दण्ड से दंडित किया जाना न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हेतु न्यायोचित पाया जाता है। अतः अभियुक्तगण को संहिता की धारा 324/34 के अधीन न्यायालय उठने तक की अवधि की सजा व 500—500 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्तगण को एक—एक माह का कारावास भुगताया जावे।

- 14. प्रकरण में जब्त शुदा संपत्ति कुछ नहीं।
- 15. निर्णय की एक प्रति अविलंब अभियुक्तगण को प्रदान की जावे।
- 16. अभियुक्तगण की निरोधावधि कुछ नहीं।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया । मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

ALIMANA PAROTA SUNT

ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश